

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in ;

ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com

पत्रांक : जी-11/359 / एस०एच०सी/2026

दिनांक : 11.08.2026

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सकुर्लर-6 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हज-2027 के प्रत्येक प्रोवीजनली चयनित हज यात्री को अग्रिम धनराशि रु 1,52,300/- जमा करने की तिथि 10 अगस्त, 2026 से बढ़ाकर 17 अगस्त, 2026 कर दी गयी है। प्रत्येक प्रोवीजनली चयनित हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के खाते में निर्धारित समयान्तर्गत जमा करना होगा, जिससे सम्बन्धित निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

1. चयनित हज यात्री निर्धारित धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> पर व हज सुविधा एप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।
2. धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया में भी पे-इन-स्लिप द्वारा हज कमेटी आफ इण्डिया के खाते में जमा की जा सकती है। पे-इन-स्लिप वेबसाइट <https://www.hajcommittee.gov.in> पर जनरेट करने का विकल्प भी दिया गया है। वेबसाइट www.hajcommittee.up.gov.in उपलब्ध जिलेवार सूची में प्रत्येक कवर नम्बर के सामने बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित है।
3. धनराशि जमा करने के उपरान्त हज यात्रियों को प्रपत्र जमा करने के सम्बन्ध में अलग से निर्देश दिये जाएंगे। समय से धनराशि जमा न कराने पर प्रोवीजनली चयनित हज यात्री की सीट निरस्त कर दी जाएगी।

उक्त सकुर्लर में यह भी अवगत कराया गया है कि शॉर्ट हज में आवेदन करने वाले सभी हज यात्रियों को शॉर्ट हज में सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसे सभी हज यात्रियों को भी निर्धारित समयान्तर्गत अग्रिम धनराशि जमा करना आवश्यक है।

Digitally signed by
MOHD TARIQ

Date: 11-08-2026
(मोहम्मद तारिक)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज एवं मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
3. मा० सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर/समस्त ट्रेनर, हज-2026, उ०प्र०।
9. समस्त प्रशिक्षण केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्र, उ०प्र०।
10. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

(मोहम्मद तारिक)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी